राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1828/2014/जयपुर

सहायक आयुक्त
विशेष वृत–षष्ठम, जयपुर — अपीलीर्थी

बनाम

मैसर्स आर.जी.एण्टरप्राइजेज
जयपुर — प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा,सदस्य

उपस्थितः
श्री एन.के.बैद
उप राजकीय अभिभाषक — अपीलार्थी की ओर से
श्री पी.सी.जैन
अभिभाषक — प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 23.11.2015

निर्णय

अपीलार्थी सहायक आयुक्त, विशेष वृत, जयपुर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 129/अ.प्रा.–।।।/वैट/जयपुर/2013–14/ई में पारित आदेश दिनांक 09.05.2014 के विरूद्ध पेश की गयी है,जिसके द्वारा उन्होंने राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 23 व नियम 19ए के अन्तर्गत पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 18.03.2013 के अन्तर्गत सृजित मांग रू. रू. 64,400/– को अपास्त किया है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रथम, द्वितीय व तृतीय तिमाही बिकी प्रपत्र ई फाईलिंग के स्थान पर मैन्यूअली प्रस्तुत करने के कारण अधिनियम की धारा 23 व 55 सपठित 19ए के अन्तर्गत आदेश दिनांक 18.03.2013 पारित कर विलम्ब शुल्क रू. 64,400/– आरोपित किया,जिससे असन्तुष्ट होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सृजित मांग को अपास्त कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.05.2014 पारित किया है। अपीलाधीन आदेश से क्षुब्ध होकर विभाग की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण के समय पाया गया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा तृतीय एवं चतुर्थ तिमाही बिकी विवरण वै–10 मैन्युअली विलम्ब से पेश किये गये, जबकि उक्त बिकी विवरण आन लाईन भरे जाने थे, जो स्पष्टतः राजस्थन मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 (जिसे आगे वैट नियम कहा जायेगा) के नियम 19ए का उल्लंघन है। उनका कथन है कि अधिसूचना संख्या 16(375)टैक्स/वैट/सीसीटी/06/179 दिनांक

29.06.2010 एवं अधिसूचना संख्या 08.12.2010 के अन्तर्गत आन लाईन रिटर्न पेश किया जाना आज्ञापक था। उनका कथन है उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रत्यर्थी व्यवहारी को नोटिस जारी करने पर प्रस्तुत जवाब को सन्तोषप्रद नही मानते हुए कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 23 सपठित वैट नियम 19ए के अन्तर्गत आदेश पारित कररू. 64,400/–की मांग सृजित की, जो पूर्णतः उचित है। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.0502014 पारित कर उक्त मांग को अपास्त किया है,जो प्रकरण के तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के विरूद्ध है। उन्होंने अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त कर प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया ।

प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि आयुक्त,वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर के परिपत्र क्रमांक 16(375)टैक्स/वैट/सीसीटी/2006/543 दिनांक 02.04.2012 जारी कर वर्ष 2010–11 के रिटर्न पेश करने की अवधि 30.04.2012 तक बढा दी गई है तथा वैट नियम 19 ए में संशोधन किया गया है वह दिनांक 01.04.2012 से प्रभावकारी है। उनका कथन है कि व्यवहारी द्वारा तृतीय तिमाही का रिटर्न दिनांक 31.01.2011 एवं चतुर्थ तिमाही का रिटर्न दिनांक 23.05.2011 को मैन्युअली पेश कर दिये है, जो दिनांक 30.04.2012 से पूर्व पेश किये गये हैं, इसलिए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सृजित मांग अविधिक है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी, तथा उपलब्ध रिकार्ड एवं आयुक्त,वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर के परिपत्र क्रमांक 16(375)टैक्स/वैट/सीसीटी/2006/543 दिनांक 02.04.2012 का अवलोकन किया गया। आयुक्त,वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर के परिपत्र क्रमांक 16(375)टैक्स/वैट/सीसीटी/2006/543 दिनांक 02.04.2012 से स्पष्ट है कि वर्ष 2010–11 के रिटर्न पेश करने की अवधि 30.04.2012 तक बढा दी गई है तथा वैट नियम 19 ए में संशोधन किया गया है वह दिनांक 01.04.2012 से प्रभावकारी है। रिकार्ड के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि व्यवहारी द्वारा तृतीय तिमाही का रिटर्न दिनांक 31.01.2011 एवं चतुर्थ तिमाही का रिटर्न दिनांक 23.05.2011 को मैन्युअली पेश किये गये है, जो दिनांक 30.04.2012 से पूर्व पेश किये गये हैं। हस्तगत प्रकरण के उक्त तथ्यों के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मांग सृजित किया जाना विधिक नहीं है। विद्वान अपीलीय अधिकारी ने भी इन्हीं तथ्यों का विवेचित

करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सृजित मांग को अपास्त किया गया है,जिसमें किसी हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है। फलस्वरूप अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.05.2014 की पुष्टि करते हुए प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया ।

(सुनील शर्मा)
सदस्य